Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में ग्राम विकास अधिकारी, दलाल सरपंच पति एवं ई–मित्र संचालक 9 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 मार्च, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हिमांशु चौधरी ग्राम विकास अधिकारी, दलाल चिरंजी लाल खटीक सरपंच पति व मोहम्मद आरीफ ई–मित्र संचालक ग्राम पंचायत सोप, तहसील उनियारा, जिला टोंक को परिवादी से 9 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आवासीय मकान का पट्टा जारी करने की एवज में हिमांशु चौधरी ग्राम विकास अधिकारी एवं चिरंजी लाल खटीक सरपंच पति, ग्राम पंचायत सोप द्वारा मुझसे 1 लाख 50 हजार रुपये पहले ही रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये हैं तथा अब मोहम्मद आरीफ ई–मित्र संचालक के माध्यम से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये मोहम्मद आरीफ पुत्र अजीज खान निवासी वार्ड नं0 1, ग्राम पंचायत सोप, तहसील उनियारा जिला टोंक हाल ई–मित्र संचालक सोप, तहसील उनियारा जिला टोंक को परिवादी से **9 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी हिमांशु चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी प्लॉट नं0 06, गौतम कॉलोनी, सवाईमाधोपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोप, तहसील उनियारा जिला टोंक एंव चिरंजी लाल खटीक पुत्र श्री भोलूराम निवासी ग्राम सोप, तहसील उनियारा, जिला टोंक हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत सोप को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।